न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—210/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/210)

1. रघुवीर सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डुमाडा, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. किशना पुत्र श्री हीरा
2. हरदेव पुत्र श्री हीरा
3. सुवा पुत्र श्री छोगा(मृतक) जरिए वारिसानः—
   3/1 नारायण पुत्र सुवा
   3/2 सुखपाल पुत्र सुवा
   3/3 महेन्द्र पुत्र सुवा
   3/4 पप्पू पुत्र सुवा
   3/5 पांची पत्नि सुवा
   सभी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम डुमाडा तहसील व जिला अजमेर।
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा सराधना तहसील व जिला अजमेर जरिए प्रबंधक
5. राजस्थान सरकार जरिए कार्यालय तहसीलदार, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.06.2022 राजस्व वाद संख्या 08/2022.

उपस्थितः—

1. श्री श्रवण सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री पुष्पेंद्र सिंह रावत, भवानी सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3/1 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 05.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3/2 से 3/5, 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 13.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 एक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलांट/अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्राथना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए। तत्पश्चात वर्तमान रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र वारते नाहरा पुत्र मोती का नाम सहवन से दर्ज होने के कारण उसका नाम तर्क किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात उक्त पत्रावली पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.6.2022 की पेशी नियत की गई। तत्पश्चात उक्त पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प फोलोअप ग्राम पंचायत मुकाम सराधना पर उक्त पत्रावली बाबत सुनवाई की जाकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अविधिक रूप से स्वीकार किए जाने का आदेश दिनांक 17.6.2022 को प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3/2 से 3/5, 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उक्त पत्रावली बाबत विवादित आराजीयात बाबत संबंधित तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई थी तथा उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.6.2022 पर किसी भी पक्षकार अथवा अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए तथा उक्त मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाकर उक्त दिनांक 17.6.2022 को ही राजस्व फोलोअप कैम्प में प्रस्तुत कर दी तथा उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से उक्त आदेश दिनांक 17.6.2022 पारित कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजीयात बाबत संबंधित तहसीलदार एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौके पर गए तथा राजस्व कैम्प अभियान में कार्यालय/केम्प में बैठे–बैठे ही तथा वर्तमान रेस्पोडेंट/पक्षकारों को खुश करने के इरादे से उनके अनुरूप ही मौका रिपोर्ट दिनांक 17.6.2022 को ही बनाकर कोर्ट कैम्प में प्रस्तुत कर दी तथा उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.6.2022 पारित कर दिया। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1909 तथा 2440/1911 बाबत अपीलांट खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत पत्रावली बाबत किसी भी प्रकार से नोटिस इत्यादि तामील नहीं हुए और ना ही उक्त पत्रावली बाबत अपीलांट को किसी प्रकार की जानकारी रही तथा बिना समुचित रूप से नोटिस तामील हुए अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विरूद्ध जाकर तथा बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए उक्त आदेश दिनांक 17.6.2022 पारित कर दिया। वर्तमान रेस्पोडेंटस द्वारा अविधिक रूप से अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ते का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा वर्तमान रेस्पोडेंट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद है तथा अपीलांट की उक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजी में से दिया गया रास्ता निकटतम रास्ता नहीं है। उक्त समस्त तथ्यों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 17.6.2022 पारित कर दिया। उक्त पत्रावली बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक 24.6.2022 की पेशी नियत थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

द्वारा उक्त पत्रावली लोक अदालत फोलोअप कैम्प साराधना में दिनांक 17.6.2022 को सुनवाई हेतु नियत की जाकर वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई/जवाब का समुचित अवसर प्रदान किए बिना आदेश दिनांक 17.6.2022 पारित कर दिया। विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य किसी भी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ थ इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अविधिक रूप से केवल नम्बर बढाने के उददेश्य से स्वीकार किए जाने का आदेश दिनांक 17.6.2022 पारित कर दिया। विवादित आराजी बाबत पत्रावली में सुनवाई हेतु दिनांक 24.6.2022 की पेशी नियत थी तथा उक्त पत्रावली को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप कैम्प भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साराधना में सुनवाई हेतु दिनांक 17.6.2022 को नियत कर दिया गया तथा उक्त प्रकरण बाबत अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट कैम्प में सुनवाई का कोई नोटिस इत्यादि प्रदान नहीं किया गया तथा बिना अपीलांट को नोटिस प्रदान किए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से आदेश दिनांक 17.6.2022 पारित किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3/1 ने दौराने जवाब/ बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1772 रकबा 0.20 खसरा नम्बर 1771 रकबा 0.212 खसरा नम्बर 1765 रकबा 0.47 ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है, तथा प्रार्थी अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.96 एवं खसरा नम्बर 2440/1911 रकबा 0.25 है0 की पूर्वी मेड से अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में आते जाते रहे है तथा उक्त रास्ते से आगे के अन्य काश्तकार भी आते जाते रहे है तथा उक्त रास्ते की भूमि की डीएलसी रेट के अनुसार जो भी किमत न्यायालय जमा कराने हेतु आदेश फरमाए वह राशि प्रार्थीगण के द्वारा जमा करा दी जाएगी तथा प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.7.2022 को हाजा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत तर्क करने नाम नाहरा पुत्र मोती प्रस्तुत किया जिस बाबत प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 नाहरा पुत्र मोती का नाम सहवन से अंकित हो गया है जबकि अप्रार्थी संख्या एक नाहरा पुत्र मोती का उक्त आराजीयात बाबत किसी प्रकार का लेना देना इत्यादि नहीं है, तथा विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.96 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ही दर्ज है तथा प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के उक्त खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.96 तथा खसरा नम्बर 2440/1911 रकबा 0.25 में से आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार फरमाया जाकर सहवन/त्रुटिवश अप्रार्थी संख्या 1 नाहरा पुत्र मोती का नाम दर्ज हो गया है जिसे हजफ किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को हाजा न्यायालय द्वारा मनन एंव चिंतन किया गया, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.46 तथा खसरा नम्बर 2440/1911 रकबा 0.25 है0 की जमाबंदी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर में से रास्ते की दादरसी हाजा न्यायालय से चाही गई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजयीयात से किसी प्रकार से लेना देना नहीं है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रार्थीगण से सहवन से मुर्तिब किया गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र नाम तर्क हेतु स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त कथन वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया गया है एवं प्रार्थी को 12 फुट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1771, 1772, 1765 पर आवगमन एवं टेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु ग्राम डूमाडा तहसील अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 1909, 2440/1911 में से 12 फुट चौडा रास्ते दिए जाने के आदेश दिए गए है। तहसीलदार अजमेर राजस्व अभिलेख में इस अनुसार उपरोक्त वर्णित रास्ते को सिवायचक अंकित कर रास्ते की तरमीम करने के इंद्राज दिए जाने के आदेश प्रदान किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेंटस/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 एक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलांट/अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प फोलोअप ग्राम पंचायत मुकाम सराधना पर उक्त पत्रावली बाबत सुनवाई की जाकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने का आदेश दिनांक 17.6.2022 को प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 17.6.2022 को तलब की गई थी तथा उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.6.2022 पर किसी भी पक्षकार अथवा अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए तथा उक्त मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाकर उक्त दिनांक 17.6.2022 को ही राजस्व फोलोअप कैम्प में प्रस्तुत कर दी व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया। विवादित आराजीयात बाबत संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्व कैम्प अभियान में बिना पक्षकारों की सहमति के मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि अविधिक होने से मान्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत पत्रावली बाबत किसी भी प्रकार से नोटिस इत्यादि तामील नहीं हुए और ना ही उक्त पत्रावली बाबत अपीलांट को किसी प्रकार की जानकारी रही तथा बिना समुचित रूप से नोटिस तामील हुए अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विरूद्ध जाकर तथा बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए उक्त आदेश दिनांक 17.6.2022 पारित कर दिया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उक्त पत्रावली बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक 24.6.2022 की पेशी नियत थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली लोक अदालत फोलोअप केम्प सराधना में दिनांक 17.6.2022 को सुनवाई हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नियत की जाकर वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई/जवाब का समुचित अवसर प्रदान किए बिना आदेश दिनांक 17.6.2022 पारित कर दिया। विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य किसी भी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ था। उक्त प्रकरण बाबत अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस कोर्ट कैम्प में सुनवाई का कोई अवसर इत्यादि प्रदान नहीं किया गया तथा बिना अपीलांट को नोटिस प्रदान किए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.6.2022 पारित किया है, जो न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित कर नए सिरे से निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांक 07.07.2023 को उपस्थित होंवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner